

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 1758/VII-1/16/68-रिट/08
देहरादून:दिनांक: 19 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1026/VII-1/2015/68-रिट/2008 दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति, 2015 प्रख्यापन किया गया था। वर्तमान में राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्टों को अनुज्ञा दिये जाने में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोक-थाम, प्रदेश के जनसाधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिये जाने एवं ऐसी इकाइयों को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल खनिज विकास एवं राजस्व हित में स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति, 2015 अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016

- | | | |
|---------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 है। |
| | | (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| परिभाषाएँ | 2. | जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो— |
| | | (क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है; |
| | | (ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है; |
| | | (ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है; |
| | | (घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है; |
| | | (ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है; |
| | | (च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नही सम्मिलित है; |
| | | (छ) "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, जिला टिहरी, गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है; |
| | | (ज) "मैदानी क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है; |

- (झ) "खनन सत्र" का तात्पर्य 01 अक्टूबर से आगामी 30 सितम्बर तक है;
- (ज) "आबादी" का तात्पर्य स्टोन केशर हेतु आवेदित दिनांक को अवस्थिति राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी क्षेत्र से है;
- (ट) "on site स्थापना" का तात्पर्य नदी/गंधेरे में स्वीकृत चुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना से है;
- (ठ) "Perennial river" का तात्पर्य ऐसे नदी से है जिसमें जल का प्रवाह निरन्तर वर्षभर होता रहता है;
- (ड) "Non-Perennial river" का तात्पर्य ऐसे नदी से है जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है;
- (ढ) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधन सहित से है;
- (ण) "शब्द और पद" जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा जारी किया जायेगा;

अध्याय- I- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट

- स्टोन केशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट स्थल चयन हेतु समिति
1. स्थल चयन एवं स्थल की जांच हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा :-
 1. प्रस्तावित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी -अध्यक्ष।
 2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी या उसका प्रतिनिधि - सदस्य।
 3. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य।
 4. भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स - सदस्य।
 5. सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी- सदस्य सचिव।
 2. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क सहित पांच प्रतियों में निम्न अभिलेखों सहित संबंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा :-
 - 1-आवेदन पत्र।
 - 2-आवेदन शुल्क संयंत्र की क्षमता के अनुसार।
 - 3-आवेदित स्थल का खसरा मानचित्र।
 - 4-साईट प्लान।
 - 5-आवेदित स्थल का खसरा विवरण।
 - 6-आवेदक भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधरों की अनापत्ति।
 - 7-आवेदन पत्र निर्धारित चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।
 - 8-आवेदक यदि फर्म या कम्पनी हो तो फर्म का रजिस्ट्रेशन एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग की प्रति।
 - 9-स्थाई निवास प्रमाण-पत्र।
 - 10-आवेदक/भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र।
 - 11-आवेदक/भागीदारों का खनन अदेयता प्रमाण पत्र।
 - 12-टिन नम्बर।
 - 13-आयकर अदेयता प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।
 - 14-स्क्रीनिंग प्लांट से निकलने वाले अनुपयुक्त उपखनिज का निस्तारण का प्रकार एवं विधि का विवरण का शपथ पत्र।
 - 15-स्टोन केशर स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी को प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल (आर0बी0एम0) आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को सूचित किया जाना होगा।

इस हेतु संचालक एवं खनन पट्टाधारक के मध्य हुए उपखनिज आपूर्ति के अनुबन्ध की सत्यप्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

16- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी के द्वारा प्लान्ट में कच्चे माल एवं तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अधीन भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त करेगा। भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति के उपरान्त क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा की स्वीकृति के समय शासन द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि हेतु किया जायेगा।

प्लान्ट स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये खनिज का लेखा-जोखा पंजिका "क" में करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिजकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

ई-रवन्ना प्रणाली का प्रयोग होने की दशा में ई-रवन्ना की विवरणी को मान लिया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में उपखनिज कच्चा माल व पक्का माल के भण्डारण व सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) द्वारा किया जायेगा।

17-स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू, बजरी, बोल्टर (अर्थात् कच्चा माल) क्रय किये जाने वाले स्रोत एवं पूर्व से भण्डारित उपखनिज की मात्रा की घोषणा शपथ-पत्र पर ई-रवन्ना हेतु रजिस्ट्रेशन से पूर्व भूतत्व खनिकर्म के जनपद स्तरीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

कच्चे माल का स्रोत प्लांट संचालक द्वारा उपलब्ध न कराये जाने की दशा में संबंधित जनपद के खान अधिकारी के द्वारा ई-प्रपत्र "जे" की निकासी रोकते हुए पूर्व में क्रय किये गये कच्चे माल के स्रोत की जांच कर अन्तिम निर्णय के उपरान्त ई-प्रपत्र "जे" की अनुमति प्रदान की जायेगी।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन हेतु निम्नलिखित दूरी के मानक होंगे:-

क्र०सं०	स्थान	मैदानी क्षेत्र हेतु संयंत्र से न्यूनतम दूरी (मीटर में)	
1	2	3	
		स्टोन क्रेशर	स्क्रीनिंग प्लान्ट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	50 मीटर
2.	(क) नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मीटर	10 मीटर
	(ख) (Non-Perennial river) वर्षाती नदी, नाला, गंधेरा के किनारे से	50 मीटर	10 मीटर
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	100 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	100 मीटर
5.	आबादी से दूरी	300 मीटर	100 मीटर

टिप्पणी -(1) पर्वतीय क्षेत्र के स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों हेतु दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत होंगे।

(2) चयन समिति किसी भी दशा में किसी भी मानक में शिथिलीकरण की संस्तुति नहीं करेगी।

(3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की

गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

स्टोन क्रेशर/
स्क्रीनिंग प्लान्ट
हेतु न्यूनतम
क्षेत्रफल

3. इस नीति के प्रख्यापित होने के पश्चात आवेदित/स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल का निर्धारण निम्नवत् मानकों के अनुसार किया जाना होगा :-
- (क) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता - टन प्रति घंटा
- (ख) प्रतिदिन स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालन की अवधि - औसतन 10 घंटा प्रतिदिन (यदि प्लान्ट स्वामी 10 घंटे से अधिक संचालन करना चाहता है, तो वह इस आशय का शपथ पत्र सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा)।
- (ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन हेतु कच्चा माल आर0बी0एम0 की आवश्यक मात्रा प्रतिदिन = $k \times x$ टन प्रतिदिन
- (घ) वर्षा ऋतु आदि हेतु खनन चुगान की एक वर्ष में बंदी की अवधि = 120 दिन।
- (ङ) बंदी अवधि हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की भण्डारण क्षमता = $120 \times k \times x$ क्षमता टन में।
- (च) कच्चा माल (आर0बी0एम0) एवं पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊंचाई तक।
- (छ) कच्चा माल (आर0बी0एम0) का भण्डारण का क्षेत्रफल

$$= \frac{k \times x \times 120}{\text{दिन}}$$

$$2.2 \times 5$$

(1 घनमीटर = 2.2 टन)

(ज) तैयार माल के भण्डारण, हरित पट्टिका, प्लान्ट की स्थापना एवं वाहनों के आवाजाही एवं रखरखाव इत्यादि हेतु आर0बी0एम0 एवं भण्डारण क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्रफल।

(झ) कुल क्षेत्रफल = छ+ज वर्गमीटर

यदि क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा औसतन संचालन अवधि से अधिक अवधि बढ़ाये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उपरोक्तानुसार भण्डार की क्षमता एवं क्षेत्रफल को निर्धारित शुल्क अतिरिक्त रूप से जमा कर ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक द्वारा संशोधित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ट) प्लांट स्वामी तैयार माल का भण्डारण क्षमता जितना चाहे उतना कर सकता है। इसके लिए उसे तैयार माल के भण्डारण हेतु क्षेत्रफल को विस्तारित करते हुए नियमानुसार भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत कराना होगा।

नीति के प्रख्यापन से पूर्व स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के स्वीकृत भण्डारण क्षेत्र की गणना भी इसी प्रकार की जायेगी, परन्तु यदि आगणित क्षेत्र वर्तमान भण्डारण क्षेत्र से अधिक होगा तो क्षेत्रफल के आधार पर क्षमता का निर्धारण किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/
स्क्रीनिंग प्लान्ट
हेतु आवेदन के
सम्बन्ध में
प्रकाशित
विज्ञापन के कम
में प्राप्त
आपत्तियों का
निराकरण किया
जाना

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 03 दिन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार हो, में स्वयं के व्यय पर विज्ञापित जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि, जो निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आता हो तथा उक्त स्थल पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा स्थापित/संचालन किये जाने से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिन के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रस्तुत करेगा। उक्तानुसार प्रकाशन के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है, तो उक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति जिलाधिकारी

को प्रस्तुत की जायेगी, जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशक को संस्तुति सहित प्रेषित किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/
स्क्रीनिंग प्लान्ट
में कच्चे
माल/तैयार
माल का
भण्डारण एवं
परिवहन

5. (क) स्टोन क्रेशर संचालकों को क्रशड मैटेरियल की मात्रा पर रु0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों को छाने गये उपखनिज की मात्रा पर रु0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकार्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।
 - (ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम-13(2ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 - (घ) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट भण्डारणकर्ता के द्वारा जांच/पैमाइश से अपनी लिखित रूप से असहमति व्यक्त की जाती है एवं पुनः जांच/पैमाइश की मांग की जाती है, तो उस दशा में स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट भण्डारणकर्ता से खनन लेखाशीर्षक में रु0 50,000/ की धनराशि जमा कराने के उपरान्त जांचकर्ता के द्वारा भण्डार की पुनः जांच/पैमाइश करायी जा सकती है। इस हेतु भण्डारणकर्ता को खनिज भण्डारणों को आयताकार रूप दिया जाना होगा। स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट से भिन्न भण्डारणकर्ताओं द्वारा पुनः जांच/पैमाइश की मांग किये जाने पर रु0 5000 की धनराशि लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग में जमा करनी होगी।
 - (ङ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा वार्षिक शुल्क जमा न करने की दशा में तैयार माल के परिवहन हेतु संबंधित जनपद के खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
 - (च) स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्टों द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
6. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा।
 - (2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी। भण्डारण ऊंचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर रु0 दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
 - (3)(क) इस नीति की घोषणा के बाद स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टस्वामी को ऐसा संयंत्र स्थापित करना होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।

स्टोन क्रेशर/
स्क्रीनिंग प्लान्ट
अनुज्ञा देने हेतु
शर्तें

- (ख) इस नीति की घोषणा के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को ऐसा संयंत्र स्थापित करना होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में **75 dB(A) Leq** एवं रात्री समय में **70 dB(A) Leq** से कम हो। पूर्व से स्थापित प्लान्ट 5 वर्ष के भीतर अपने संयंत्रों को संशोधित करेंगे।
- (ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed सेड के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।

- (4) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
- (5) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़ें।
- (6) संचालक द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
- (7) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (8) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्वारे की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
- (9) फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
- (10) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्कविंग की जाये। स्कविंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।

स्टोन क्रेशर/
स्क्रीनिंग प्लान्ट
अनुज्ञा की
स्वीकृति।

7. (1) (क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा नीति में प्रावधानित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
- (ख) जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ग) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा पांच वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत किया जायेगा।
- (2) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा के उपरान्त स्थल पर ऐसी योजना के पूर्ण हो जाने या भण्डारण स्थल की दशा में उसका उपयोग प्रारम्भ हो जाने पर उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा-143 के अधीन सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।
- (3) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इण्टरप्राइजेज एक्ट (MSME) के अधीन जिला उद्योग केन्द्र में रिटर्न दाखिल करना होगा।

स्टोन केशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट क्षमता का निर्धारण पूर्व से 9. स्थापित/ संचालित स्टोन केशर/ स्क्रीनिंग प्लान्टों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना तथा प्लांट की क्षमता का विनियमितकरण

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पूर्व से स्थापित प्लान्ट या स्थापित किये जाने वाले प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घन्टा में शपथ-पत्र सहित घोषित करेगा।

पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामियों को इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा।
घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लांट का विनियमितकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जायेगा।
विनियमितकरण शुल्क की गणना घोषित क्षमता के आधार पर नीति के अध्याय-II के अनुसार की जायेगी।
इस राशि में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात् अवशेष धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करना होगा।
नीति की घोषणा के एक माह बाद ई-प्रपत्र "जे" केवल विनियमित प्लान्ट को ही जारी किये जायेंगे।

अध्याय-II- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट हेतु आवेदन शुल्क :-

क्र.सं.	संयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु आवेदन शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु आवेदन शुल्क
1	2	3	4
1	स्टोन केशर	रु0 5.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघन्टा तक) रु0 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघन्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रु0 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघन्टा तक) रु0 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघन्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्क्रीनिंग प्लान्ट	रु0 1.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघन्टा तक) रु0 25,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघन्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रु0 2.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघन्टा तक) रु0 1.00लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घन्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
3	मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट	रु0 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघन्टा या उससे कम हेतु) खनन सत्र हेतु रु0 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघन्टा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघन्टा से कम हेतु) खनन सत्र हेतु रु0 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघन्टा हेतु) खनन सत्र हेतु रु0 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघन्टा से अधिक हेतु) खनन सत्र हेतु	
4	हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट	रु0 25000/-	

अध्याय- III- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट /मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/ हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण

वार्षिक शुल्क

1 (1) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट /मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु वार्षिक शुल्क उपरोक्तानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत होगा। यह धनराशि प्लान्ट स्वामी के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

पूर्व से स्थापित स्टोन
केशर/
स्कीनिंग प्लांट को
पुरानी तकनीक से
संचालन

(2) हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीकरण शुल्क आवेदन शुल्क के बराबर निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

(1) (क)- पूर्व से स्थापित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट को 05 वर्षों में अपने संयंत्रों को इस नीति के बिन्दु संख्या-6 "स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" के सभी मानकों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(ख)- परन्तु जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं लालकुआ में स्थित ऐसे स्टोन केशर, जो मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हैं, को इस नीति के लागू होने के 2 वर्ष के भीतर अपने स्टोन केशर संयंत्रों को नई व्यवस्था के अनुसार संशोधित करना होगा।

(2)- पूर्व से स्थापित ऐसे स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट, जो आबादी की दूरी एवं हरित पट्टीका के मानक पूर्ण नहीं करते हैं:-

(क)-सम्पूर्ण कशिंग क्षेत्र में कवर्ड शेड की स्थापना की जानी होगी। मरम्मत, निरीक्षण आदि के लिए आवश्यकतानुसार 1-2 दरवाजे स्थापित किये जायें, जिनमें Flexible Rubber Flaps की व्यवस्था स्थापित की जाये ताकि दरवाजे के खुलने पर धूल बाहर न निकलने पाये।

(ख)-कच्चे माल एवं उत्पाद भण्डारण वाले क्षेत्र में भी कवर्ड शेड की स्थापना की जाये जिनमें आवश्यकतानुसार धूल के नियंत्रण हेतु फब्वारों की स्थापना की जाये।

(3)- पूर्व से स्थापित एवं संचालित एवं नये ऐसे स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांटों के द्वारा बिन्दु संख्या-6 में दी गयी शर्त के अनुसार नई आधुनिक तकनीकी पर आधारित Enviroment Friendly प्रदूषण मुक्त संयंत्र स्थापित करने के साथ-साथ उपरोक्त बिन्दु संख्या-2(क) एवं बिन्दु संख्या-2(ख) के अनुसार आवश्यक सभी व्यवस्था की गयी हो, को रियायत प्रदान करने के उद्देश्य से आगामी पांच वर्षों तक वार्षिक शुल्क की धनराशि का केवल 50 प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करानी होगी।

(4) ऐसे पुराने स्टोन केशर, जो कि मानक पूर्ण नहीं करते हैं और जो शासन द्वारा उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में नई व्यवस्था के अनुसार प्लान्ट को संशोधित नहीं करते हैं, को इस नीति के मानकों के अनुसार अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना होगा।

अनुज्ञा को रद्द/
निरस्त किया जाना

(1) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर चयन समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन को अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा।

(2) पांच वर्ष की समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी यदि स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी पुरानी तकनीकी का परिवर्तन नहीं करता है तो अनुज्ञा स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा ई-प्रपत्र "जे" रोक दिया जायेगा।

अध्याय- IV-मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट का पंजीकरण एवं संचालन

- 1 राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट को on site स्थापित कर संचालन किया जायेगा।
- 2 मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर स्वामी पट्टेधारकों एवं अन्य क्षेत्रों में केवल संचालन हेतु प्लान्ट किराये पर उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य दायित्व नहीं होगा।
- 3 मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर स्वामी को निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क सहित निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 4 प्रत्येक वर्ष प्लान्ट के संचालन हेतु पंजीकरण का नवीनीकरण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से कराया जाना आवश्यक होगा।
- 5 मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर के द्वारा किसी भी प्रकार का कच्चे माल का स्टॉक रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

- 6 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु खनन पट्टाधारक /परियोजना प्रबंधक कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में कस्ड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज की मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित करेगा।
- 7 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, जिनकी क्षमता अधिकतम 25 टन/घण्टा से अधिक न हो, के संचालन हेतु अनुमति सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।
प्रतिबन्ध यह होगा कि मोबाईल स्टोन केशर केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु तथा मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही संस्थाओं को अल्पावधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे।
- 8 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रख्यापित आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- 9 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्र धारक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय का विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं भूतत्व खनिकर्म के जनपदीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण-दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
- 10 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना के सम्बन्ध में सत्यापन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
- 11 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक के वहीं रहेंगे, जो सम्बन्धित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।
- 12 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों को कस्ड मैटेरियल की मात्रा पर 1 रु0 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों को छाने गये उपखनिज की मात्रा पर 25 पैसा प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं खनिकर्म उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- 13 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांटों पर लागू हैं।
- 14 स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- 15 पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।

अध्याय- V- हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

हाट मिक्स प्लान्ट
एवं रेडिमिक्स प्लान्ट
में उपखनिजों का
भण्डारण

- 1 (क) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट स्वामी के द्वारा प्लान्ट में पक्के माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन संबंधित जिलाधिकारी द्वारा एक खनन सत्र हेतु भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त की जायेगी।

उक्त प्लान्टों में भण्डारण के मानक स्टोन क्रेशर के मानकों के समान होंगे। प्लान्ट स्वामी के द्वारा क्रय किये गये खनिज का लेखा-जोखा पंजिका "क" में करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ज्ये० खान अधिकारी/ खान अधिकारी (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) द्वारा किया जायेगा।

(ख) हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वामी पर प्रतिमाह रु० 50000/-का अर्थदण्ड देय होगा।

(ग) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्टर या उनके उत्पाद अर्थात् कच्चा माल/पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर 1 रुपये प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक 0853- अलैह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) यदि हॉटमिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता के द्वारा जांच/पैमाइश से अपनी लिखित रूप से असहमति व्यक्त की जाती है एवं पुनः जांच/ पैमाइश की मांग की जाती है तो उस दशा में भण्डारणकर्ता से खनन लेखाशीर्षक में रु० 5,000/- की धनराशि जमा कराने के उपरान्त जांचकर्ता के द्वारा भण्डार की पुनः जांच/पैमाइश करायी जा सकती है इस हेतु भण्डारणकर्ता को खनिज भण्डारणों को आयताकार रूप दिया जाना होगा। हॉटमिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट से धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractor) या धूल के कणों एवं धुआं को हवा में उड़ने से रोकने की विधि का प्रभावी उपयोग उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।

हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट का पंजीकरण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा 05 वर्ष हेतु किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष प्लान्ट के संचालन हेतु पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाना होगा।

प्लान्ट से धूल के
कणों के उत्सर्जन
को रोकने की विधि
हाट मिक्स प्लान्ट,
रेडिमिक्स प्लान्ट का
पंजीकरण एवं
नवीनीकरण

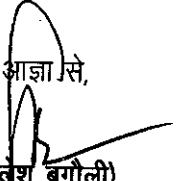
4 स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

अध्याय-VI- स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/आर०एम०सी० प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण:-

1. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/आर०एम०सी० प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत किया जायेगा तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्राप्त की जायेगी। उक्त प्रयोजन के लिये सम्बन्धित प्लान्टों हेतु आवेदन शुल्क

निम्नानुसार देय होगा :-

1. स्टोन केशर का नाम या भागीदारों का नाम परिवर्तन-2.00लाख।
2. स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन- 1.00 लाख।
3. हाटमिक्स प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - 50,000/-
4. आर0एम0सी0 का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन -50,000/-
5. मोबाईल स्टोन केशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन -50,000/-
6. मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन -25,000/-

आज्ञा से,

(शैवश बगौली)
सचिव